तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/4/23	बहुजाय उपखं। पत्रावली वास्ते और तलबी दि० 13/7/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर)
25/5/2023	आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ प्रार्थना-पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। इसी मूल वाद में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः इस पत्रावली में भी अप्रार्थीगण की एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र, 212 RTAct हेतु दिनांक 13/6/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर)
13/6/23	आज पत्रावली पेश हुई। बवजह [illegible] पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौरे [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दि. 10-7-23 को पेश हो।
10/7/23	आज पत्रावली पेश हुई। बवजह [illegible] पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौरे [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दि. 23/8/23 को पेश हो। 19/7/23
19/7/23	आज पत्रावली पेश हुई। बवजह [illegible] पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौरे [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दि. 25/7/23 को पेश हो।
27/7/23	आज यह पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी के वकील उप० है। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण के

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध आराजी खसरा नं. 960, 1134, 1135 व 743 वाके ग्राम ढुंढारिया तह० बहरोड़ के बाबत प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का उपरोक्त विवादित आराजी मे 1/3 हिस्सा की खातेदारी है। अप्रार्थीगण लड़ाकू व झगड़ालू प्रवृत्ति के है जो प्रार्थी को अपने हिस्से पर काश्त करने नहीं देते है तंग व परेशान करते है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी का तकासमा का यह दावा पेश किया है। अप्रार्थीगण बाद सूचना के उपस्थित नहीं आये। उनको ता फैसला वाद निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। हमने पत्रा० का अध्ययन किया। विवादित आ० ख० नं. 960, 1134, 1135 व 743 वाके ग्राम ढुंढारिया तह० बहरोड़ मे प्रार्थी की जमाबन्दी संवत 2077 मे 1/3 हिस्सा खातेदारी का दर्ज है। अप्रार्थीगण बाद सूचना न्यायालय हाजा मे उपस्थित नहीं आये। जिससे उनकी इस आराजी मे कोई रुची नहीं होना पाया जाता है जिस सूरत मे प्रथम दृष्टया प्रकरण और सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे पायी जाती है। प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख० नं. 960, 1134, 1135 व 743 वाके ग्राम ढुंढारिया तह० बहरोड़ बाद पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे, काश्त के	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उपयोग उपभोग में कोई रुकावट पैदा न करे और ना ही बिना विभाजन करे विवादित आराजी पर कोई कच्चा पक्का निर्माण ना करे और ना किसी दीगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल करे। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद फैसला वाद संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर)